"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 238] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई 2018— आषाढ़ 12, शक 1940

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई, 2018 (आषाढ़ 12, 1940)

क्रमांक-6819/वि. स./विधान/2018. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 6 सन् 2018), जो मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई, 2018 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 6 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018

छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उन्हत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 7 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"7. आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, राज्यपाल द्वारा उनके नियुक्ति आदेश में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करेंगे. राज्यपाल द्वारा आवश्यकतानुसार अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य की पदावधि में वृद्धि की जा सकेगी तथा अध्यक्ष/सदस्य, पुनर्नियुक्ति के लिए अनर्ह अथवा अयोग्य नही होंगे :

परन्तु यह कि अध्यक्ष/सदस्य, राज्यपाल को लिखित में संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेंगे."

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) के प्रावधानों के अधीन किया जाता है;

और यत:, राज्य वित्त आयोग एक अस्थायी निकाय है और उसे अपना कार्य एक निश्चित समयावधि में पूरा करना होता है;

और यत: छत्तीसगढ़ वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 7 के अनुसार राज्यपाल को सदस्यों की पदावधि और पुनर्नियुक्ति की पात्रता के लिए विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है;

अतएव, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई है, ताकि राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि एवं पुनर्नियुक्ति के प्रावधानों को सुस्पष्ट कर निगमित किया जा सके.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 21 जून, 2018

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक-सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994)
की धारा-7 का सुसंगत उद्धरण

* * * * * * * * * * * * * *

सदस्यों की पदावधि और पुनर्नियुक्ति की पात्रता	७	आयोग का प्रत्येक सदस्य ऐसी अवधि के लिये पद धारण करेगा जो उसे नियुक्त करने वाले राज्यपाल के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, किन्तु वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा: परन्तु वह राज्यपाल को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.